राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर

क्रमांक प.14(58)(1)RSMSSB/अर्थना/कृषि/कृ.पर्य./पात्रता जांच/2018 /3299 दिनांक : 27/8/2020

–:: कार्यालय आदेश ::–

कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती–2018 में कृषि पर्यवेक्षक पद के पर गैर अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र में रिक्त पदों के 1.5 गुणा अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु बोर्ड के पत्र कमांक प.14(58)(1)RSMSSB/अर्थना/कृषि/कृ.पर्य./पात्रता जांच/2018/1086 दिनांक 09.08.2019 को दस्तावेज सत्यापन हेतु उनके रोल नम्बर बोर्ड की वेबवाईट पर जारी किए गए थे। कृषि विभाग के द्वारा राज्य कृषि प्रबंध संस्थान(SIAM) में दिनांक **19.08.2019 से 30.08.2019** तक अभ्यर्थियों के पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन किये गये थे।

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर की रिट याचिका संख्या 12077/2019 में जारी आदेश की अनुपालना में कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती–2018 में संशोधित परीक्षा परिणाम में अस्थाई (Provisional) रूप से चयनित अभ्यर्थियों के बोर्ड के पत्र कमांक प.14(58)(1)RSMSSB/अर्थना/कृषि/कृ.पर्य./पात्रता जांच/2018/3186 दिनांक 27.07.2020 के कम में दिनांक **05.08.2020 से दिनांक 07.08.2020** तक बोर्ड परिसर में अभ्यर्थियों के पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन किये गये थे।

उपरोक्त दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध अभ्यर्थियों में से अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को पुनः सूचित किया जाता है कि वे दिनांक **02.09.2020 से दिनांक 04.09.2020 तक** को निर्धारित समय प्रातः 11 बजे से सांय 5 बजे तक **राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर** पर पात्रता जांच हेतु आवश्यक रूप से उपस्थित हों।

यदि उपरोक्त अभ्यर्थी उक्त निर्धारित दिनांक एवं स्थान पर पात्रता की जांच हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो इनका कृषि पर्यवेक्षक के पद पर किया गया अस्थाई चयन **निरस्त** कर दिया जावेगा।

(डॉ.मुकुट बी. जांगिड़)
सचिव